

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : चि.प्र/कोरोनावाइरस/2020/ 184

दिनांक: 11-03-2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- कोरोना वाइरस से संबंधित (Covid 19) का प्रशिक्षण समस्त स्टॉफ को देने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि निर्देशानुसार दिनांक 09.03.2020 को कोरोना वाइरस से संबंधित TOT राज्य के समस्त जिलों से आये प्रतिभागियों को दे दी गयी है। चूंकि यह ट्रेनिंग राज्य के सभी चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टॉफ को चरणबद्ध तरीके से यथा शीघ्र दी जानी है। अतः समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी एक सप्ताह में सबको इस बाबत निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण देने वाले	प्रशिक्षण दिनांक	प्रशिक्षण स्थान	प्रशिक्षण में अन्य सहभागी
1	A. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी B. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी C. समस्त सीएचसी प्रभारी D. समस्त सैक्टर प्रभारी	A. राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी	12 अथवा 13 मार्च	जिला मुख्यालय	1. मेडिकल कॉलेज के RRT सदस्य आदि 2. WHOके प्रतिनिधि
2	A. IMA/IAP के प्रतिनिधि B. प्राइवेट चिकित्सालों के प्रभारी	A. राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी B. जिला स्तरीय अधिकारी	13 मार्च	जिला मुख्यालय	WHO के प्रतिनिधि
3	A. सैक्टर के अन्य चिकित्सा अधिकारी B. सीएचसी के अन्य चिकित्सा अधिकारी C. BPM D. ब्लॉक के नर्सिंग स्टाफ	A. जिला स्तरीय अधिकारी B. BCMO C. TOT प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी D. CHC प्रभारी	13 व 14 मार्च	प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय	WHO के प्रतिनिधि
4	A. सैक्टर के शेष नर्सिंग स्टाफ B. ANM C. ASHAs D. अन्य शेष स्टाफ	1. BCMO 2. सैक्टर MOI/C	16 व 17 मार्च	प्रत्येक सैक्टर मुख्यालय	WHO के प्रतिनिधि

प्रशिक्षण सम्बन्धी ध्यान रखने योग्य बिन्दु-

1. प्रशिक्षण का बैच प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
2. प्रशिक्षण के बैच इस प्रकार से बनाये जाये कि चिकित्सालयों की व्यवस्था में व्यवधान ना आयें।
3. ट्रेनिंग प्रभावी ढंग से प्रशिक्षणार्थियों के स्तर के अनुरूप दी जावें।
4. प्रशिक्षण का कार्यक्रम तथा दैनिक प्रगति निदेशालय के चिकित्सा प्रशासन अनुभाग की ईमेल आईडी adhadmhs@gmail.com पर प्रतिदिन भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. उपरोक्त निर्देशों की पालना निश्चित समयावधि में करना सुनिश्चित करें।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : चि.प्र/कोरोनावाइरस /2020/ 184

दिनांक: 11-03-2020

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
3. अति0 निदेशक चिकित्सा प्रशासन मुख्यालय।
4. अति0 निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी आई.डी.एस.पी. मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, जोन-समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बन्धित को मेल कराना सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर